(GCF-19, GCF-20, VCF-4, SCF-6 & SCF-7)

DATE: 05.02.2020 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3 Hours**

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions.
Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.
Working Notes should from part of the answer.

Answer 1:

(a) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की **धारा 69** में यह प्रावधान है कि, ''जब एक व्यक्ति द्वारा भुगतान करने में उसका हित है'', तो दूसरा व्यक्ति कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए दायी है और वह उसका भुगतान कर देता है तो वह दूसरे व्यक्ति से इसकी भरपाई करा सकता है। **{1 M}**

दिये गये प्रशन में W ने Z की कानूनी रूप से देय राशि का भुगतान किया जिसके भुगतान में उसका हित है। इसलिए W , Z से दी गई राशि की भरपाई करा सकता है। **{1 M}**

Answer:

(b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 5(1) के अनुसार कम्पनी के अन्तर्नियम में कम्पनी के प्रबंधन के नियमन सम्बंधी प्रावधान होते है धारा 5(2) के अनुसार अन्तर्नियमों में ऐसे विषय भी शामिल होगे जो कि अधिनियम में बताये गये है एवं कम्पनी ऐसे अतिरिक्त विषय शामिल कर सकती है जो उसक प्रबंधन को आवश्यक प्रतीत हों। **{1 M}**

वकील अधिकारी को हटाया जाना – कम्पनी के पार्षद सीमानियम एवं अन्तर्नियम कम्पनी और उसके सदस्यों के लिए बाध्य होते है और वह इस बात के लिए बाध्य होते है कि इन प्रावधानों का जोकि पार्षद सीमानियम एवं अन्तर्नियम उन पर हस्ताक्षर किये होते हैं (धारा 10(1)। **{1 M}**

लेकिन कम्पनी औंर उसके सदस्य ऐसे किसी भी विषय जोकि उस कम्पनी के पार्षद सीमानियम एवं अन्तर्नियमों के लिए वह किसी बाह्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होते है यह तथ्य उस सामान्य नियम पर आधारित है जिसके अनुसार किसी अनुबंध से असम्बन्धित व्यक्ति उस अनुबंध के अधीन किसी अधिकार को प्राप्त नहीं करता है। **{1 M}**

इस उदाहरण में अन्तर्नियमों ने एक्स को यह अधिकार प्रदान किया था कि उसे केवल सिद्ध किये गये दुष्कर्म के आधार पर ही सेवा से हटाया जायेगा। उपरोक्त में वैधानिक व्याख्या के आधार पर एक्स उसको अन्तर्नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकार को कम्पनी से लागू नहीं करवा सकता है। इसलिए कम्पनी की कार्यवाही (एक्स का दुष्कर्म के बिना सिद्ध किये गये हटाया जाना) वैध है **(ऐली बनाम वी. पोजिटिव गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी**, जनरल मैनेजर शान्ता शमशेर जंग बनाम कमानी ब्रॉदर्स प्राईवेट लिमिटेड) **{2 M}**

Answer:

(c) उपरोक्त मामला वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 50 से संबंधित है। जो अदत्त विक्रेता के माल को मार्ग में रोकने के अधिकार पर व्याख्या करता है।

धारा 50 के अनुसार अदत्त विक्रेता द्वारा माल को मार्ग में निम्नलिखित परिस्थिति में रोका जा सकता है। **{1 M for each correct 4 points}**

- विक्रेता अदत्त हो,
- वस्तु पर उसका कब्जा ना हो,
- वस्तु मार्ग में हो,
- क्रेता दिवालिया हो गया हो,
- यह अधिकार, अधिनियम के अनुसार हो।

उपरोक्त धारा 50 के अनुसार राम 100 कपड़ों की गांठों पर जो रेलवे द्वारा भेजी गयी हैं पर माल का मार्ग में रोकने के अधिकार को प्रयोग कर सकता है। **{1 M}**

Answer 2:

(a) सीमित दायित्व साझेदारी के समामेलन के चरण (Steps to Incorporate LLP)

1. नाम उपलब्धिता (Name Reservation) :–
   (a) पहला कदम सीमित दायित्व साझेदारी के नाम का आरक्षण है।
   (b) नाम की उपलब्धिता के एिल आवेदन e-form 1 में रजिस्ट्रार के पास फाईल किया जाता है। **{2 M}**
2. सीमित दायित्व साझेदारी का समामेलन (Incorporation) :–
   (a) सीमित दायित्व साझेदारी के समामलेन के लिए e-form 2 रजिस्ट्रार के पास फाईल होगा।
   (b) e-form 2 में सीमित दायित्व साझेदारी के विवरण, साझेदार, अभिहित साझेदार, उनकी सहमति आदि दिये जाते है। **{2 M}**
3. सीमित दायित्व साझेदारी समझौता (LLP Agreement) :–
   (a) सीमित दायित्व साझेदारी समझौता निष्पादित किया जायेगा।
   (b) यह समामेलन के 30 दिनों के भीतर e-form 3 में रजिस्ट्रार के पास फाईल किया जायेगा। **{2 M}**

Answer:

(b) मि. डी की स्थिति– मि. डी. ने कुछ माल मि. ई. को 5 लाख रुपये में 15 दिन की उधारी पर बेचे। मि. डी ने माल की सुपुर्दगी दी, पर मि. ई. ने भुगतान से मना कर दिया। मि. डी. अदत्त विक्रेता बन गये। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 45 के अनुसार उधार अवधि बीत जाने के बाद यदि क्रेता द्वारा मूल्य का भुगतान ना किया जाए तो विक्रेता, अदत्त विक्रेता कहलाएगा और निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे, श्री E के विरूद्धः **{2 M}**

(1) मूल्य के भुगतान के लिए श्री E पर वाद किया जा सकता है।
(2) वस्तु यदि श्री E द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है तो श्री D को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वाद किया जा सकता है।
(3) मूल्य पर ब्याज के लिए भी वाद किया जा सकता है। **{1 M Each}**

नोटः श्री D वस्तु के विरूद्ध अपने किसी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते व वस्तु का कब्जा श्री E को प्राप्त हो चुका है। **{1 M}**

Answer 3:

(a) साझेदारी में अवयस्क की स्थिति (Minor's Position In Partinership):– एक अवयस्क एक फर्म में साझेदार नहीं बन सकता, परन्तु उसे सब साझेदारों की सहमति से लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए अधिनियम में धारा 30 के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। **{1 M}**

अधिकार (Rights) :–

- यह अवयस्क को पूर्व निर्धारित भाग के लाभ तथा फर्म की सम्पत्ति में भाग प्राप्त करने का अधिकार है।
- वह फर्म के हिसाब किताब का निरीक्षण कर सकता है और उसकी प्रति (copy) प्राप्त कर सकता है।
- वह साझेदारों पर हिसाब–किताब हेतु अथा उसे देय भाग के भुगतान के लिये केवल उस स्थिति में मुकदमा कर सकता है, जब वह फर्म से अपने सम्बन्ध विच्छेद कर रहा हो अन्यथा नहीं।
- वयस्कता ग्रहण करने के छः माह के भीतर वह साझेदार बना रहे अथवा नहीं बना रहने का निर्णय कर सकता है। यदि वह साझेदार बनने का निर्णय लेता है तब फर्म की सम्पत्ति एवं लाभ में उनका हिस्सा वही रहता है, जो अवयस्कता की अवधि में था। यदि वह साझेदारी फर्म से अलग होने का निर्णय लेता है, तो जिस दिन वह सार्वजनिक सूचना देता है, उसके बाद वह फर्म के किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। **{1/2 M Each}**

दायित्व (Liabilities) :–

- अवयस्क का दायित्व फर्म की सम्पत्ति तथा लाभों के केवल उसके भाग की सीमा तक सीमित रहता है।
- उसका उसकी अवयस्कता के दौरान किये गये फर्म के ऋणों के लिए कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता।
- अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि फर्म को दिवालिया घोषित किया जाता है, तो फर्म में उसका भाग सरकारी प्रापक/हस्तान्तरी में निहित होता है।
- उसके वयस्क होने के 6 माह के भीतर या उसको इस बात की जानकारी होने कि उसको साझेदारी के लाभों में सम्मिलित कर लिया गया है, जो भी तिथि बाद में आये, अवयस्क साझेदार को यह निर्णय लेना होता है कि क्या वह एक साझेदार रहेगा या फर्म को छोड़ेगा। यदि वह ऐसा नोटिस देने में भूल करता है, तो वह उक्त 6 माह के बीतने के बाद फर्म का एक साझेदार बन जायेगा। **{1/2 M Each}**
- वह **साझेदारी के लाभों में शामिल किये जाने के बाद** किये गये फर्म के सभी कार्यो के लिए तृतीय पक्षकारों के प्रति व्यक्तिगत तौर पर दायी हो जाता है।
- यदि वह साझेदार नहीं बनने का चयन करता है, तो उसके अधिकार तथा कर्त्तव्य ऐसी सार्वजनिक सूचना देने की तिथि तक ठीक वैसे ही चलेंगे जैसे एक अवयस्क के रूप में रहे है। उसका भाग नोटिस की तिथि के बाद किये गये फर्म के किसी भी कार्य के लिए दायी नहीं होगा।

वह सम्पत्ति तथा लाभों में अपने भाग के लिए अन्य साझेदारों पर वाद दायर करने के लिए अधिकृत होगा। उल्लेखनीय है कि ऐसा अवयस्क रजिस्ट्रार को नोटिस देगा कि वह एक साझेदार बन गया है या साझेदार नहीं बना है।

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार यदि कोई अनुबंध व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबन्धित करता है तो ऐसा अनुबंध शून्य एवं अवैध होगा, परन्तु सेवा अनुबंध में यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी बन्धन पर सहमत है कि जब तक वह वहां पर सेवारत है वह अपने नियोक्ता की प्रतिस्पर्धा में कोई कार्य नहीं करेगा और परोक्ष या अपरोक्ष रूप में कहीं और सेवा नहीं करेगा और ऐसा प्रतिबंध या रोक व्यापार या व्यवसाय पर रोक नहीं मानी जाएगी **{2 M}**

इसलिए X को लुधियाना में डॉक्टर के रूप में कार्य करने से रोका जा सकता है। **{1 M}**

Answer:

(c) इस प्रश्न में पूछी गयी समस्या वैध अनुबंध की मूल आवश्यता पर आधारित है वैध अनुबंध की मूल आवश्यताओं के अनुसार कोई भी अनुबंध ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अवैधानिक हो तथा अवैध हो या शून्य हो। अवैध अनुबंध का कोई वैधानिक या कानूनी प्रभाव नहीं होता है इसलिए कोई अनुबंध जो किसी व्यापार, विवाह या किसी वैधानिक कार्यवाही पर किसी प्रकार की रोक लगाता है वह अनुबंध शून्य और अवैध होगा। **{2 M}**

इसलिए मि. X. मि. सेठ द्वारा किए गए वायेद के रू. 5 लाख वसूल नहीं कर सकता है क्योंकि उन्हीं में एक अवैध अनुबंध किया था जिसे किसी न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता है। यह लोकनीति के विरूद्ध होने के कारण व्यर्थ है। **{1 M}**

Answer 4:

(a) मार्गस्थ माल को रोकने का अधिकार समाप्त हो जाता है जब मार्गस्थ समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित मामलों में मार्गस्थ समाप्त हो जाता है–

- जब क्रेता या अन्य निक्षेपगृहीता सुपुर्दगी प्राप्त कर लेता है।
- क्रेता माल के गन्तव्य तक पहुँचने से पूर्व ही सुपुर्दगी प्राप्त कर लेता है।
- जहॉ वाहक या अन्य निक्षेपगृहीता क्रेता को या उसके एजेन्ट के समक्ष स्वीकार करता है कि वह माल को धारण करता है, जैसे ही माल को जहाज पर लोड किया जाता है, जब तक कि विक्रेता ने माल के निपटान के अधिकार को आरक्षित नहीं किया है।

{1 M for each correct 6 points}

- यदि वाहक गलती से क्रेता को माल सुपुर्द करने से ना करता है।
- जब माल क्रेता द्वारा रखे गये वाहक को सुपुर्द किया जाता है तो मार्गस्थ समाप्त हो जाता है।
- जहॉ माल की आंशिक सुपुर्दगी क्रेता को की जा चुकी हो तो मार्गस्थ समाप्त हो जायेगा, शेष माल के लिए जो अभी तक प्रेषण के दौरान है।
- जहॉ माल को क्रेता द्वारा चार्टर्डशिप को सुपुर्द कर दिया जाता है, तो मार्गस्थ समाप्त हो जाता है। (धारा 51)।

Answer:

(b) एक साझेदार को साझेदारी फर्म से तब तक नही निकाला जा सकता जब तक धारा 33 की शर्तो का पालन न कर लिया गया हो। जिसके अनुसार :–

a. साझेदारी संलेख में निष्कासन का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।
b. निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाना चाहिए।
c. निर्णय सद्विश्वास में फर्म की हित में होना चाहिए।
d. निकाले जाने वाले साझेदारे उचित सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। **{3 M}**

– इस मामले अनिल द्वारा उठाई गई आपत्ति उचित है क्योंकि:–

a. साझेदारी संलेख में निष्कासन का कोई उचित प्रावधान नही है।
b. नए साझेदार अभिषेक को प्रवेश नही कराया जा सकता जब तक सभी साझेदारों की सहमति ना ले ली गई हो। इस मामले में अनिल की सहमति नही ली। इसलिए अभिषेक को साझेदार बनाने पर अनिल की उठाई गई आपत्ति सही है। **{1 M Each}**

Answer 5:

(a) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) के अनुसार भारत में यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल पक्षों द्वारा ही दिया जाए, यह किसी अन्य व्यक्ति, यहॉ तक कि अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। **{2 M}**

यह समस्या **<u>चिन्नैया बनाम रम्मैया</u>** के विवाद पर आधारित है जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि यह आवश्यक नहीं कि प्रतिफल आवश्यक रूप से पक्ष द्वारा स्वयं दिया जाये, यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। इस समस्या में भी यही कारण लागू होता है। **{2 M}**

अतः M कथित राशि N को देने के लिए बाध्य है तथा अपने दायित्व को इस आधार पर मना नहीं कर सकती कि प्रतिफल N द्वारा नहीं दिया गया। **{1 M}**

Answer:

(b) **कम्पनी के आवरण का सिद्धान्त (Corporate Veil theory) :–** कम्पनी की अपने सदस्यों से अलग भी एक पहचान होती है। जिसे प्रथक वैधानिक अस्तित्व कहते है। सदस्य कम्पनी के गलत कार्यो के प्रति जिम्मेदार नही है। यदि कम्पनी कानुनों का उल्लंघन करती है। तो सदस्य उसके लिए जिम्मेदार नही है। कम्पनी अलग है और सदस्य अलग है। **{2 M}**

Case Law : Saloman V. Salomon & Co. Ltd.

कम्पनी और सदस्यों के मध्य एक काल्पनिक पर्दा होता है। जिसके कारण एक अंशधारी जिसके पास कम्पनी के अधिकांश अंश क्यों ना हो कम्पनी के गलत कार्यो के प्रति जिम्मेदार नही है। इसे कम्पनी के आवरण का सिद्धान्त कहते है।

कम्पनी को बेनकाब करना (अपवाद):– न्यायालय निम्न परिस्थितियों में कम्पनी को बेनकाब कर सकता है:–

(1) कम्पनी के वास्तविक चरित्र के निर्धारण के लिए :– यह पता लगाने के लिए कि कम्पनी मित्र कम्पनी है या शत्रु कम्पनी न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है। **{1 M}**

डेमलर कम्पनी लिमिटेड बनाम कॉन्टीनंटल टायर एण्ड रबर कम्पनी

इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि कम्पनी को शत्रु कम्पनी माना जाएगा। यदि उस कम्पनी का नियंत्रण करने वाले व्यक्ति शत्रु देश के निवासी हो या वह शत्रु देश के संकेतों के अनुसार कार्य करते हो। यहॉ पर न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।

(2) **राजस्व की सुरक्षा/कर की सुरक्षा के लिए :–** यदि कम्पनी का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया है। कि राजस्व करो के भुगतान से बचा जा सके। तो न्यायलय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।

वादः– Sir Dinshaw manek ji petit case

D कई कम्पनीयों का अंशधारी था। उसे लाभांश या ब्याज के रूप में काफी आय प्राप्त होती थी। राजस्व के भुगतान से बचने के लिए उसने 4 कम्पनिया बनाई जिनका खुद का कोई व्यवसाय नही था D इन कम्पनीयों में लाभांश व ब्याज कि राशि अंतरित कर देता था।

न्यायालय ने कम्पनी को बेनकाब किया और कहा कि D को राजस्व का भुगतान करना पडेगा। **{1 M}**

(3) **वैधानिक दायित्वो से बचने के लिए :–** यदि कम्पनी का निर्माण कल्याणकारी कानूनो से बचने के लिए किया गया है। जिससे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान ना करना पडे तो न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।

वादः– एसोसियेटेड रबर इंडस्ट्रीज लि. के कर्मचारी बनाम एसोसियेटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

इस कम्पनी ने एक सहायक कम्पनी बनाई। जिसमें वह अपना लाभ अंतरित कर देती थी। जिससे उसे कर्मचारियों का बोनस पी.एफ., ग्रेचुइटी आदि का भुगतान ना करना पडे। उस सहायक कम्पनी का खुद का कोई व्यवसाय नही था। न्यायालय ने कम्पनी को बेनकाब किया और कहॉ कि आपको श्रम कल्याणकारी प्रावधानों का पालन कना पडेगा। **{1 M}**

(4) **यदि सहायक कम्पनी का निर्माण ऐजेन्सी के रूप में किया गया हो। :–** इस मामले में न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।

Merchandise Transport Ltd. V British Transport commission:- एक यातायात कम्पनी अपने वाहनो के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहती थी। परन्तु वह स्वयं के नाम से आवेदन नही दे सकती थी। उस कम्पनी ने एक सहायक कम्पनी बनाई। और लाईसेंस के लिए आवेदन दिया। **{1 M}**

न्यायालय ने निर्णय दिया कि सुत्रधारी और सहायक कम्पनी दोनो एक है और आवेदन को रद्द कर दिया गया।

(5) **कपट या अनुचित आचरण की रोकथाम के लिएः–** यदि न्यायालय को इस बात को संदेह हो कि कम्पनी का निर्माण कपटपूर्ण अथवा अनुचित आचरण करने के लिए किया गया है तब न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है। Gilford moter Ltd. V Horne.

H इस कम्पनी का कर्मचारी था जिस पर प्रतिबंध था कि वह कम्पनी छोडने के बाद कम्पनी के ग्राहको को नही तोडेगा। H ने कम्पनी के ग्राहको को ताडने के लिए एक कम्पनी बनाई। **{1 M}**

न्यायालय ने कहा कि H और उसकी कम्पनी एक ही है। जो काम H प्रत्यक्ष रूप से (कम्पनी के माध्यम से) भी नही कर सकता है।

Answer 6:

(a) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 41 के अनुसार जब वचनग्रहीता एक वचन का निष्पादन किसी तीसरे पक्ष से स्वीकार कर लेता है तो वह वाद में वचनदाता के विरूद्ध इसे लागू नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में, वचनग्रहीता द्वारा अजनबी से निष्पादन स्वीकार करना अनुबंध के वचनदाता को मुक्त कर देता है, यद्यपि वचनदाता ने न तो तीसरे पक्ष के कार्य को अधिकृत किया था और न ही इसका पुष्टिकरण किया था। **{3 M}**

इसलिए B, A पर केवल (10,000 – 6,000) रू. 4,000 के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। **{1 M}**

Answer:

(b) हॉ। एक अनुबंध का निष्पादन आवश्यक नहीं है जब पक्ष इसके स्थान पर दूसरा अनुबंध करें अथवा इसे रद्द करे अथवा इसमें परिवर्तन करें (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 62) दी गई समस्या में अनुबंध का नवीनीकरण होने के कारण पुराना अनुबंध समाप्त हो गया है, क्योंकि एक पक्ष का स्थान किसी तीसरे पक्ष ने ले लिया है। **{2 M}**

इस कारण से N, O से राशि वसूल कर सकता है। **{1 M}**

Answer:

(c) हाऊस ऑफ लॉर्ड **सैलोमन बनाम सैलोमन लि.** में निर्णय दिया कि कम्पनी अपने सदस्यों से अविच्छिन्न तथा पृथक है तथा इसलिए इसका अपने सदस्यों से, जिन्होंने कम्पनी का गठन किया है। स्वतंत्र, पृथक कानूनी अस्तित्व है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में न्यायालय निगमित अवारण को उठा सकता है। इसका अर्थ है निगमित आवरण के पीछे झॉकना तथा निगमित अस्तित्व को नहीं मानना जहॉ कम्पनी का निर्माण तथा निगमन कुछ व्यक्तियों द्वारा निगमित प्रकृति के पीछे शरण लेकर करों की चोरी करना है वहॉ न्यायालय करों की चोरी के मामले में निगमित अस्तित्व की अवमानना करें। **{2 M}**

(1) प्रश्न में पूछी गई समस्या उपर्युक्त तथ्यों पर आधारित है। करदाता ने तीन कम्पनियों का गठन करों की चोरी करने के लिए किया था तथा कम्पनियॉ करदाता से अलग कुछ भी नहीं थी। इसलिए F का इरादा कर की चोरी करने के इरादे से तीन भागों में बॉटने का था। **{$1^{1/2}$ M}**

(2) तीन निजी कम्पनियों के कानूनी व्यक्तित्व की अवमानना की जा सकती है क्योंकि इनका निर्माण केवल करें की चोरी करने के लिए किया गया था तथा कम्पनी करदाता से अधिक कुछ नहीं थी। उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, लेकिन केवल ब्याज तथा लाभांश की आय को प्राप्त करके उसे करदाता को कल्पित ऋण के रूप में वापस करना था। ऐसा निर्णय **सर दिनशॉ मानेकजी पेटिट** AIR 1927 बम्बई 371. **{$1^{1/2}$ M}**

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)

Answer 7:

(a) Passage-2

(1) Option c
(2) Option b
(3) Option a
(4) Option d
(5) Option b

{Each 1 Mark}

Answer:

(b) Passage -1

Ministry's Decision Revoked (Heading) **{1 M}**

(I) S. Korean steel maker Posco under attack
(II) Prpsl for steel plant in Odisha rcnsdrd
(III) Need to rethink the descn
  (a) Not based on solid grounds
  (b) FDI's
  (c) Land aqstn from natives nt easy
  (d) Protests frm land holders
(IV) No concrete result
  (a) 8 years past; standstill
  (b) Neither prpnt nor govt. able to justify its moves
  (c) Leaves the matter open ended.

{1/2 Mark Each}

Key Used:

(1) S= south
(2) Prpsl= proposal
(3) Rcnsdrd=reconsidered
(4) Descn= decision
(5) Aqstn- acquisition
(6) Nt= not
(7) Frm= from
(8) Prpnt=proponent
(9) Govt= government.
(10) FDI= foreign direct investment.

{2 M}

Answer 8:

(a) Barriers in communication:

- Physical Barriers
- Cultural Barriers
- Language Barriers
- Technology Barriers
- Emotional Barriers

{1 M}

Technology Barriers: Being a technology driven world, all communication is dependent on good and extensive use of technology. However, there might arise technical issues, like server crash, overload of information etc which lead to miscommunication or no communication at all. **{1 M}**

Language Barriers: It's a cosmopolitan set up, where people of different nationalities move from their home to other countries for work. As a result, it is difficult to have a common language for communication. Hence, diversity gives rise to many languages and it acts as a barrier at times. **{1 M}**

Answer 8 (b):

(i) Direct to Indirect Speech:

The athlete said that he could break all records **(1 Mark)**

Answer 8 (b):

(ii) Synonyms

Option c **(1 Mark)**

Answer:

(c) Television: Bane or Boon (Title) **{1 M}**

Television affects our lives in several ways. We should choose the shows carefully. Television increases our knowledge It helps us to understand many fields of study. **{2 M}**

It benefits and people and patients. There are some disadvantages too some people devote a long time to it. Students leave their studies and it distracts their attention. **{2 M}**

Answer 9:

(a) Vertical Network and Wheel & Spoke Network.

Vertical Network	Wheel and Spoke Network
A formal network. It is usually between a higher ranking employee and a subordinate.	A network with a single controlling authority who gives instructions and orders to all employees working under him/her.

{2 M}

A two way communication happens	Two way communication happens but useful only in small organizations.

{2 M}

Answer 9(b):
(i) Idioms
Option c **(1 Mark)**

Answer 9(b):
(ii) Passive to Active:
The school authorities declared the results **(1 Mark)**

Answer 9(b):
(iii) Antonyms
Option d **(1 Mark)**

Answer :
(c)

CIRCULAR

Circular No. XXXIV Dec 31, 2018

NEW YEAR PARTY

{1 M}

For all employees

Wishing All a very Happy, prosperous and productive New Year 2019. A New Year party is being organized in the office premises on the coming weekend (Jan 5, 2019) at 7 PM. Everyone is cordially invited with their families. **{2 M}**

The events would be as follows:

- Live performance by the pop band 'ASD'
- Couple Dance competition
- Stand up Comedy
- Surprise Gifts for kids
- Lucky Draw
- Buffet Dinner with special buffet for the kids Looking forward to an active participation.

{2 M}

Romi Mistry Manager, HR

Answer 10:
(a) Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings and emotions through speech, signals, writing, or behavior. **{1 M}**

Communication is relevant in daily life as we experience it in all walks of life. While talking to friends, family and office colleagues, while passing on a piece of information, while starting a campaign or a protest march; at every step we want to communicate a message. The audience differs and the purpose differs; yet communication happens. **{1 M}**

Answer:
(b) Fill in the blanks:
(i) Option c
(ii) Option b **{1 Mark Each}**
(i) Option

Answer:

(c) Seema Solanki

Format for a Resume showing years of experience

- Name and contact details
- Objective Summary:
- Career Summary
- Experience
- Company 1 Job title
  - Responsibilities/Achievements
- Company 2 Job title
  - Responsibilities/Achievements
- Educational Details
- Hobbies and Interests
- Signature
- References with their phone numbers

Objective Summary: seeking leadership roles and making a meaningful impact on the growth of the organization.

Career Summary: Have been associated with firms with an employee size of around 1200. I have a rich experience in costing and finance operations. My expertise lies in handling cash flow and pay rolls process.

Company Name 1 Job title: Analyst

Job Responsibilities:

- Handling finance operations and determining major financial objectives.
- Supervising monthly financials
- Deducing cost feasibility of cost based projects Company Name 2

Job title: Manager/Sr. Consultant Job Responsibilities:

- Designing and implementing cost effectives techniques, policies and procedures to enhance financial growth.
- Managing pay rolls: computations of salaries, TDS, PPF
- Heading a six member team, handling daily basis output and ACR's.

Educational details

(Pointers as follows)

School, class Xth and XIIth marks/grades

College/University: B.Com

ICAI, Mumbai : CA

Each Point 1/2 Mark

Answer 11:

(a) **Chain of Command**: The communication pattern that follows the chain of command from the senior to the junior is called the chain network. Communication starts at the top, like from a CEO, and works its way down to the different levels of employees. It involves a lot of organizational hierarchy. **{2 M}**

Drawbacks: The chain network often takes up time, and communication may not be clear. It creates a lot of miscommunication as the message travels a long path. **{1 M}**

Answer 11:

(b) Active to Passive:

(i) Many battles were fought by Rana Pratap

(ii) Football matches are watched by people late night. **{1 Mark Each}**

Answer:

(c) Date: Jan 2, 2019
Venue: Conference Hall, 3rd Floor
Meeting started at 11 : 00 AM.
In attendance : Mr. BNM Managing Director, Mr. ASD Head , Sales and Marketing, Mr. FGH, Product Head, Mr. JKL Plant Head, two Senior Consultants from QWE Consulting and Market Research, three members of the Sales team

Mr. FGH, Product Head

- Introduced the agenda
- Demonstrated the prototype of the new product
- Explained the utility and target customers
- Existing Variants in the market vs variants to be introduced by the company in 6 months time

Mr. JKL, Plant Head

- Discussed preparedness for mass manufacturing of the new product
- Discussed potential vendors to manufacture the variants

Mr. VBN Senior Consultant, QWE Consulting and Market Research

- Discussed marketing strategy for product launch
- Discussed media advertising for product promotion

Mr. ASD Head, Sales and Marketing, Mr. RTY Executive, Sales Team

- Presented the estimated demand and sales figures for first quarter (initial 3 months after launch)
- Discussed feedback received from the sample customers

All the participants consented to submit their observations and reports to Mr. BNM Managing Director, Mr. ASD Head, Sales and Marketing,
The Head of Sales and Marketing proposed a vote of thanks and declared the next meeting to discuss reports to be held on Feb 4, 2019.
ATR to be submitted by Jan 25, 2019 to the Head of Sales and Marketing.

Each Point 1/2 Mark

***